अखिल भारतीय कामगार महिला समन्वय समिति (सीटू)

पत्रिका

जनवरी 2008 केवल सदस्यों के लिए मूल्य 3 रूपए

आंगनवाड़ी मुलाजिम यूनियन, पंजाब का सातवां राज्य सम्मेलन

आंगनवाड़ी मुलाजम यूनियन, पंजाब का सातवां सम्मेलन

आंगनवाड़ी मुलाजम यूनियन, पंजाब का सातवां सम्मेलन 15–16 नवम्बर, 2007 को चण्डीगढ़ में सम्पन्न हुआ। सम्मेलन का आरम्भ सीआइटीयू की पंजाब राज्य समिति के उपाध्यक्ष प्रोः बलवंत सिंह द्वारा लाल झण्डा फहराए जाने से हुआ, जबकि अखिल भारतीय आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिका फैडरेशन की अध्यक्ष नीलिमा मैत्रा ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। हरजीत कौर ने महासचिव की रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे बहस के बाद सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। सम्मेलन में उषा रानी अध्यक्ष, हरजीत कौर महासचिव तथा अमृतपाल कौर कोषाध्यक्ष के साथ 51 सदस्यों की कार्यकारिणी कमेटी का चुनाव हुआ। सीआइटीयू की पंजाब राज्य समिति के महासचिव रघुनाथ सिंह, पीसीएमएसआरयू के नेता अमरदीप सिंह साहनी तथा पंजाब अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की नेता राजेन्द्र चोहकां इत्यादि ने भी सम्मेलन को सम्बोधित किया।

सम्मेलन के पहले दिन आंगनवाड़ी कर्मचारियों की ओर से सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन व रैली की गई और पंजाब के मंत्री सवर्णा राम को अपनी एक मांग पत्र भेंट किया गया। रैली को अखिल भारतीय आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिका फैडरेशन की अध्यक्ष नीलिमा मैत्रा, महासचिव के हेमलता, और सीआइटीयू नेताओं ने सम्बोधित किया। हेमलता ने यूपीए सरकार की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि वह सांझा न्यूनतम कार्यक्रम को लागू करने की बजाए विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व व्यापार संगठन के दबाव में आकर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि फेडरेशन की मांग है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को दर्जा 3 तथा 4 सरकारी कर्मचारियों का ग्रेड दिया जाए; उन्हें सरकारी कर्मचारी माना जाए; उन्हें पेन्शन, भविष्य निधि, ईएसआई सहित सभी सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं दी जाएं। इन मांगों के लिए फेडरेशन की ओर से संसद भवन के सामने प्रदर्शन किया गया;

धरने दिए गए; प्रधान मंत्री को मांग पत्र दिए गए किन्तु अभी तक उनकी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। इन नेताओं ने सरकार को चेतावनी दी कि यदि आंगनवाड़ी कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया तो उन्हें मजबूर होकर अपना संघर्ष और तेज करना होगा। रैली की अध्यक्षता यूनियन की अध्यक्ष उषा रानी ने की जबकि उसे अनेक आंगनवाड़ी नेताओं द्वारा भी सम्बोधित किया गया।

देशव्यापी सत्याग्रह कार्यक्रम को जोरदार सफलता मिली

ट्रेड यूनियनों और औद्योगिक फैडरेशनों की आयोजन समिति के आह्वान पर 4–5 दिसम्बर को देशभर में आयोजित सत्याग्रह कार्यक्रम संगठित एवं असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लाखों श्रमिकों के अलावा किसानों, खेत मजदूरों तथा मेहनतकश अवाम की दूसरी श्रेणियों के लोगों ने सत्याग्रह का कार्यक्रम चलाया और गिरफ्तारियां दीं। यह कार्यक्रम शानदार रूप से सफल रहा। इस सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन 18 सूत्रीय मांगों के पक्ष में और देश की शोषित–पीड़ित जनता की मांगों के प्रति यूपीए सरकार के उदासीन रवैये के खिलाफ किया गया था।

देशभर में लाखों लोगों ने रास्ता रोको, रेल रोको, धरनों इत्यादि का आयोजन किया और गिरफ्तारियां दीं। विभिन्न राज्यों और औद्योगिक केन्द्रों में दस लाख से अधिक लोगों ने गिरफ्तारियां दीं। देश के अनेक स्थानों में केन्द्रीय सरकार की जन विरोधी एवं श्रमिक विरोधी आर्थिक नीतियों के खिलाफ चलाए गए इस आंदोलन के चलते जन जीवन ठप्प होकर रह गया।

पश्चिम बंगाल, केरल, त्रिपुरा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा दूसरे राज्यों में विशाल सभाओं, प्रदर्शनों तथा धरनों का आयोजन किया गया। कोलकाता में विशाल सभा आयोजित की गई। अगरतला में आयोजित जन सभा में हजारों लोगों ने भाग लिया जिसे सीआइटीयू के अध्यक्ष एम के पन्धे ने सम्बोधित किया।

देश की राजधानी दिल्ली में हजारों कार्यकर्ताओं ने मण्डी हाउस पर इकट्ठा होकर संसद की ओर मार्च किया। इस मार्च में संगठित, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, रेलवे कर्मचारियों, सार्वजनिक उपक्रमों में काम करने वाले कर्मचारियों, बीमा एवं बैंक कर्मचारियों, सरकारी कर्मचारियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। बैंक कर्मचारियों ने युनाइटिड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के तत्वावधान में जंतर मंतर पर धरना दिया और बाद में मार्च में हिस्सा लिया। इसके बाद संसद मार्ग पुलिस स्टेशन पर सभी मजदूरों ने गिरफ्तारियां दीं।

इस सत्याग्रह कार्यक्रम में देशभर के लाखों–लाख मजदूरों के साथ–साथ किसानों तथा खेत मजदूरों ने भी भाग लिया और उनके द्वारा विभिन्न स्थानों पर रास्ता रोको, रेल रोको और धरना इत्यादि कार्रवाईयों का आयोजन किया गया। उनकी ओर से अनेक स्थानों पर गिरफ्तारियां भी दी गईं।

असम, बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र हरियाणा, दिल्ली इत्यादी के प्रमुख जिलों इत्यादी में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों जैसे धरना, प्रदर्शन, रास्ता रोको, रेल रोको, आम सभाएं, नुक्कड़ सभा, गेट मीटींग, भूखहड़ताल इत्यादी आयोजित किए और गिरफ्तारियां दीं। कई स्थानों जैसे परभनी महाराष्ट्र में पुलिस ने धरना दे रहे श्रमिकों पर बर्बरता पूर्ण लाठीचार्ज किया जिसके कारण 14 श्रमिक बुरी तरह घायल हो गए।

नव वर्ष का आगमन

यह समय है नव वर्ष के आगमन और इसकी खुशी मनाने का। कुछ हफ्तों के लिए सेंसेक्स 20,000 से ऊपर उछला। एक भारतीय आदमी, अर्थात् मुकेश अंबानी विश्व में सबसे अमीर आदमी कगार पर है। और उसने अपनी पत्नी को उसके जन्मदिवस पर निजी उपयोग के लिए 249 करोड़ का हवाई जहाज देकर इस उत्सुकता का प्रदर्शन किया। यहां करोड़पतियों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। क्या इससे बेहतर कोई अवसर मनाया जा सकता है? बिल्कुल, देश की अमीरों के साथ ऐसा बेहतर कभी नही हुआ।

आर्थिक व्यवस्था लगभग 9 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है। प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और योजना आयोग के डेप्युटी चेयरमैन द्वारा चलाई जा रही नव उदारीकरण की नीतियों से बिल्कुल निश्चित है कि वृद्धि दर 10 प्रतिशत तक पहुंचने ही वाली है, परन्तु उनके मुताबिक यदि केवल संशोधन प्रणाली को आगे ले जाने की अनुमति हो; यदि केवल पेंशन फंड का नीजिकरण करने और उसे शेयर मोर्कट में फेर दिए जाने की अनुमति हो; यदि केवल मजदूरों के अधिकारों को हटाने का विचार किया जाए; यदि केवल आर्थिक क्षेत्र को विदेशी बहुर्राष्ट्रीय निगमों के हवाले करने की अनुमति हो; यदि केवल सब्सिडि को सीमित किया जा सके ताकि वो आम जनता नही बल्कि पूंजीपतियों को मिले।

CARTOONSCAPE

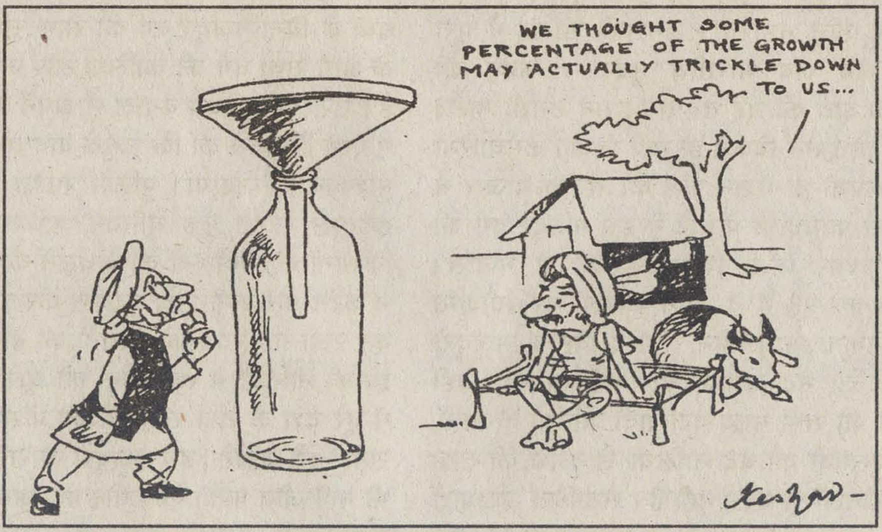

"हमें उम्मीद थी कि वृद्धि का कुछ प्रतिशत असल में हम पर टपकेगा..."

परन्तु जनता के लिए लिए इतनी बेहतर स्थिति कभी नही आई। दो लाख से अधिक किसान, जो कृषि संकट के चलते आत्महत्या के लिए मजबूर हो गए उनके परिवारों को नव वर्ष के आगमन पर क्या मिला? जिन खेतिहर मजदूरों की जमीने छीन ली गईं, उनका भविष्य क्या है? उन लाखों बच्चों के परिवारों का क्या जिनके बच्चे अपना पहला जन्मदिवस मनाने से पहले ही गुजर गए? उन बच्चों की मां जो जन्म देते हुए गुजर गई ? असंगठित क्षेत्र में लाखों मजदूर महिलाएं और आदमी जिन्हें मानव होने का सम्मान भी नही मिला उनका क्या? यहां सेंसेक्स के अलावा कुछ और सूचक भी है जिनसे भारत की सही दशा के बारे में जाना जा सकता है। यह वह देश है जो विकसित देशों से प्रतियोगिता के स्वप्न देखता है, परन्तु इथोपिया की भूख हटाने के प्रयत्नों की प्रतियोगिता में हार का मुंह देखना पड़ता है; यह वह देश है जो चाइना के करोड़पतियों को पछाड़ने की बड़ी बड़ी डींगें तो मारता है परन्तु शिशु मृत्यु उर और मातृत्व मृत्यु दर को कम कर पाने में छोटे से क्यूबा से भी पीछे है। ग्लोबल हंगर इंडैक्स में (मानव विकास सूचकांक) में भारत 118 देशों में से 96वें स्थान पर है। भारत 126वें स्थान से 128वें स्थान पर पहुंचा। ग्लोबल जैंडर गैप की रिपोर्ट में 128 देशों में से भारत 114वें स्थान पर है।

परन्तु शासक वर्ग इस बात में व्यस्त हैं कि किस प्रकार राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय निगमों को खुश किया जाए और किस प्रकार असंख्य संसाधन जिनमें देश के मानव संसाधन भी शामिल हैं, उन्हें भेंट किए जाएं, ये सारे उनके लिए हैं और वे उसे नजरअंदाज करना चाहते हैं।

नही, जनता उन्हें ऐसा करने की अनुमति नही देगी। वर्ष 2007 आंगनवाड़ी कर्मचारियों, असंगठित क्षेत्र मजदूरों, सरकारी कर्मचारियों और अध्यापकों के बड़े संघर्षों का वर्ष रहा है। 2008 भी और अधिक और मजबूत संघर्ष का होगा। नव वर्ष पर मजदूर वर्ग वचन लेता है कि जनविरोधी नीतियों के विरूद्ध सभी शोषित जनता को लामबंद कर संघर्ष करेंगें।

नंदीग्राम के बहाने, किस पर सध रहे हैं निशाने

बादल सरोज

नंदीग्राम प्रसंग और इसे लेकर गोयबल्स को भी मात देने वाली झूठी कहानियों की बुनियाद पर गढ़ा गया आक्रामक प्रचार उन शासक वर्गो सत्तासीन तबकों की वर्गीय हिकारत है, जो मजदूर वर्ग को फूटी आंख नही देखना चाहता। जो इस बात को लेकर गमजदा है कि, यह मजदूर वर्ग, जिसने कुछ राज्यों में अपनी शक्ति का राजनैतिक पैमाने पर विस्तार कर लिया है, जब देखो तब उसकी आर्थिक नीतियों के गुब्बारे की हवा निकाल देता है।

बीएचईएल, नैयवेली या लिग्नाइट के शेयर बेचने जाए तो अड़ंगा लगा देता है। सार्वजनिक उद्योगों के निजीकरण, बैंको बीमा के खजानो के किवाड़ खोलने की हर कोशिश पर शोर मचा देता है। पूरे सोलह वर्ष गुजर गए मगर श्रम कानूनों में कांटछांट की, विश्व – बैंक मुद्राकोष द्वारा सुझाई एक भी तजवीज इसने लागू होने नही दी। अमरीकी डॉलर में पूरी तरह समा जाने जब जब भारतीय मुद्रा – रूपए की पूर्णपरिवर्तनीयता की बात की गई तब तब इसने टंगड़ी मारी। बी एस एन एल को तो इसने बिकने ही नही दिया। कर्मचारियों के लाखों करोड़ों रूपयों के पेंशन फंड को सट्टा बाजार में लगा देने अच्छे खासे फायदे के फैसले में इस मजदूर वर्ग की जमात ने अपना फच्चर फंसा दिया। इसकी ये मजाल। सदियों से जो राज कर रहे हैं वे अपने फैसलों पर स्वीकृति लेने के लिए इन निकृष्ट साधनहीन संपत्ति विहीन, मजदूरों के पास जाएं? ऐसे तो भद्र समाज चल नही पाएगा। यही भड़ास और खीज है जो सभी मुख्य पूंजीवादी पार्टियो के तानों, तकाजों वक्तव्यों, प्रस्तावों की बंद नालियों से दुर्गंध की तरह रिस रही है। टीवी चैनलों से बरस रही है। सेठाश्रित अखबारों से टपक रही है।

उनकी चिढ़ और खीज की वजह यह भी है कि यह मजदूर वर्ग इतना दुस्साहसी हो गया है कि सत्ता वर्ग जो करना चाहे उसे तो रोकता ही है, ये भी बताता है कि क्या किया जाना चाहिए। इसने अपनी ताकत के दांव में चपेट कर तीन सौ जिलो में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून लागू करवा लिया। जल जंगल जमीन सहित सारी प्राकृतिक संपदाओं को देशी विदेशी कंपनियों को सौंपने के रास्ते में इसने लगातार बाधाएं खड़ी की। और बांह मरोड़कर आदीवासी वनाधिकार कानून लागू करा लिया। अब इसकी जिद है कि असंगठित मजदूरों के लिए भी न्यूनतम वेतन, सेवा सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं सेवा उपरांत कल्याण को सुरक्षित करने वाला कानून बने। खेत मजदूरों के लिए ऐसा ही कानून अलग से बनाया जाए। छोटी राजनैतिक ताकत के बावजूद ये मजदूर वर्ग जैसे कानून बनवा रहा है, उसे तो सारे मजदूर उद्दंड और लापरवाह हो जाऐंगें। महिलाएं कैद से छूट जाएंगी। ऐसे में तो सत्ता वर्ग कहीं के नही रहेंगें। कैसे चलेगी उनकी आदिम व्यवस्था। कैसे चलेगा उनका मुनाफा आधारित राज। हिन्दु – मुस्लिम मेहनतकश जनता को एक डोरे में पिरोकर, जातियों के अवैज्ञानिक बंटवारे को सांझे वर्ग संघर्ष की धारा से जोड़कर ये मजदूर वर्ग हजारों वर्ष पुरानी बिसात को उल्टे ही दे रहे हैं। यही छटपटाहट है जो आरएसएस और इस्लामी कट्टरपंथ दोनों में एक साथ नजर आती है। यही प्रजाबोध है जो कांग्रेस – भाजपा, तृणमूल कांग्रेस और माओवादियों को एक मंच पर लाकर खड़ा कर देता है।

उसे बड़ा नागवार गुजरता है जब मजदूर वर्ग की यह राजनीतिक शक्ति लगातार 30 वर्ष तक बड़ी जीत के झण्डे गाड़ती हुई खड़ी दिखती है। इससे "एंटी इन्कम्बैंसी" के मुगालते की कलई उतर जाती है। किसी घपले, भ्रष्टाचार, बदहाली या तबाही के एक भी धब्बे के बिना मजदूर वर्ग की साफ सुथरी छवि वाली राजनीति के आगे सत्ता वर्ग की कालिख और ज्यादा काली दिखाई पड़ती है। उस पर पश्चिम बंगाल में अपने राज के दौरान वाम मोर्चा ने ऐसी हिमाकतें कीं कि उसके बाद तो बाकी जगह राज चलाना मुश्किल हो जाएगा। पुलिस सहित सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल सहित ट्रेड यूनियन अधिकार दे देने, मजदूरों और किसानों के आंदोलनों को कुचलने के लिए पुलिस का इस्तेमाल न करने और जमीन का बंटवारा करके हजारों वर्ष से भूदास बना कर रखी गई रैयत को गुलामी की बेड़ियों से आजाद करने की इसकी नीतियों ने सत्तासीनों की चूलें हिलाकर रख दीं। संसद में पूरे देश के राजे रजवाड़ों की फेंसी परेड में बंगाल के राजा रानी नहीं दिखते। इन मजदूरों के राज में वे सरपंची का चुनाव भी नहीं जीत पाते। ऐसा घोर पाप अगर ठीक नहीं हुआ तो क्या होगा?

कल तक जमींदारी चला रहे जिन संभ्रांतों की जमीने छिने गईं वे अपनी आंखों के सामने अपनी कृषि भूमि पर अपने ही चरवाहों को फलते फूलते देखते हैं तो उनके कलेजों पर सांप लोटते हैं। यही बेचैनी है जो इन पतित वर्गो के कुत्सित झूठों के पीछे उजागर हो रही है। वे एलानिया कह रहे हैं कि नंदीग्राम में स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बेदखल जनता को पुलिस को नही भेजना चाहिए। भले उसमें सौ दो सौ की मौत हो जाती। संवैधानिक महामहिमों की यही राय है। वे चाहें राज भवनों में हों, न्याय भवनों में। मार्च में पुलिस गई तो असंवैधानिक, नवम्बर में पुलिस नहीं गई तो भी असंवैधानिक। मजदूर वर्ग का संकट से बाहर निकल आना उन्हें कतई अच्छा नहीं लग रहा है। खौफ व आश्चर्य से उनकी आंखें इतनी चौड़ी हो गई हैं कि जो पिछले 11 महीनों में घटित हुआ उसे नहीं देख पाईं। वे अब अघटित को देख रही हैं।

सत्ता वर्ग का सब्र का प्याला तब और भी छलकने लगा जब

मजदूर वर्ग की ये ताकत सत्तासीनों और उसके आराध्य अमरीका के रिश्तों की प्रगाढ़ता के बीच कबाब की हड्डी बन कर खड़ी हो गई। अमरीका की गोद के किस कोने में बैठें, यह विदेश नीति भी क्या अब इन्हीं से पूछ कर तय की जाएगी? पिछले 6 महीनों से अमरीका के साथ एटमी समझौता खड़े–खड़े सूख रहा है। साम्राज्यवाद के कीचड़ में उगे अब तक के सबसे काबिल कमल –जार्ज बुश–के राष्ट्रपतित्व के मुरझाने की घड़ी आ रही है। उनके दूतों की कतारें लगी हुई हैं। पूरा सत्ता वर्ग भी राजी है, अमरीका भी राजी है। मगर ये ऐसे काजी है कि निकाहनामें पर दस्तखत होने ही नहीं दे रहे।

कभी मुकदमें तो कभी तलाक की बात करके सरकार को गिराने का डर दिखाते हैं। किसी की नहीं मानते, न अम्बानी की न अडवाणी की, न अमरीका की, न महारानी की। इसलिए सब मिल कर टूट पड़े हैं। सबक सिखाने की इस गंगा में डुबकी मारने विदेशी पैसे से चलने वाले स्वयंसेवी संगठनों के सज्जन पुरुष व भद्र महिलाएं भी नंदीग्राम की पगधूलि में लोटपोट करते नजर आ रहे हैं।

कोंडालिजा राइसों, निकोलस बर्न्सों, कार्मेलों और साम्राज्यवादी कूटनीति के अजायबघर से निकाल कर लाए गए हैनरी कीसिंगरों को पिछले कुछ महीनों से भारत भ्रमण का जो रोग लगा है, वह तीर्थ यात्रा के लिए नहीं है। अपने वर्ग की सभी राजनीतिक पार्टियों, जमातों को शिक्षित करने के लिए है। साम्राज्यवाद की वर्णमाला में पुर्नसाक्षर हुए ये सभी दक्षिणपंथी, मध्यपंथी, अतिवामपंथी ओर एनजीओ पंथी यों ही अचानके एकजुट होकर मजदूर वर्ग की राजनीति के विरुद्ध हमलावर नहीं हुए हैं। दुनिया को अपने मनमाफिक नचाने के लिए कटिबद्ध अमरीकी सांम्राज्यवाद इनके आगे भी है, पीछे भी है। इसी देश में एक समय मजदूर वर्ग की उभरती राजनीतिक पार्टी को चुनाव में हराने के लिए एक बढ़ी पार्टी–कांग्रेस–को लाखों डॉलर देने की बात कबूलने वाले और कोई नहीं, स्वयं अमरीकी राजदूत थे। दूसरी बड़ी पार्टी–भाजपा–उनके वैचारिक आर्थिक "पे–रोल" पर हमेशा रही है। जब बड़े बड़ों के ये हाल हैं तो घासफूस तिनका पत्ती पार्टियों की क्या मजाल।

बी टी रणदिवे ने ही कहा था कि "पश्चिम बंगाल की वाम मोर्चा सरकार मजदूर वर्ग का 'लाइट हाउस' है। उसकी वर्गीय एकता का दुर्जेय किला है।" नंदीग्राम की आड़ में हो रहा हमला किसी सरकार या उसके मुख्यमंत्री या उसकी किसी चूक या कारगुजारी पर नहीं है। यह भारत के मेहनतकशों से उसकी रोशन मशाल छीन लेने की सत्ता वर्गो की एक और हताश कोशिश है। न यह पहली मर्तबा है, ना आखिरी बार। आज सिंगूर है तो कल नंदीग्राम (चाहे फरवरी महीने में अधिकारिक रूप से घोषणा हो कि नंदीग्राम में न केमिकल हब होगा और न ही किसी की जमीन जाएगी)। परसों कुछ और नयी साजिश होगी। शासक वर्ग अपने वर्गीय हितों के प्रति सचेत हैं, चैतन्य हैं। उनके लिए वे किसी का भी–माओवादी का भी–दामन पकड़ने के लिए तैयार हैं। यह वक्त है जब देश के मजदूर वर्ग को खड़े होकर कहना होगा–*"यह सिर्फ बंगाल का मामला नहीं है। हम सब अपने दुर्ग की हिफाजत में खड़े हैं।"*

बिहार राज्य आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं का जिला सम्मेलन

बिहार राज्य आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिका महासंघ का गया जिला, एवं राज्य स्तरीय सम्मेलन 29–30 दिसम्बर 2007 को राजकीय उच्च विद्यालय पड़ी नगर, गया में हुआ। पूरे सम्मेलन स्थल को पंडालों, तोरण द्वारों, बैनरों झंडों से सजाया गया था। 29 दिसम्बर को झंडारोहण, शहीद बेदी पर पुष्प अर्पण के बाद करीब 3000 आंगनवाड़ी सेविका और सहायिकाओं की रैली निकाली गई।

संयुक्त खुला अधिवेशन में सममेलन का उदघाटन करते हुए आइफा अध्यक्ष नीलिमा मैत्रा ने आईसीडीएस के सामाजिक–राजनैतिक महत्व पर विस्तार से चर्चा करते हुए सेविका सहायिकाओं के केंद्र को सुचारू रूप से चलाने का आहवान किया। उन्होनें भारत सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि इस महत्वपूर्ण कार्य को सरकार ने अभी तक स्थाई स्वरूप प्रदान नही किया है। और इस कार्य से जुड़े सेविकाओं और सहायिकाओं को न्यूनतम मजदूरी भी नही दी जाती। उन्होनें महासंघ को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए बिहार के हर जिले में संगठन खड़ा करने तथा सभी केंद्रों तक पहुचने का आहवान करते हुए आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं को सरकारी सेवक बनाए जाने तक क्रमशः 3000रू ओर 2000रू देने, बीमा, सेवा समाप्त होने पर एकमुश्त राशि देने आदि मांगों के लिए व्यापक संघर्ष चलाने का आहवान किया।

उदघाटन सत्र के बाद गया जिला का प्रतिनिधि सत्र में गया जिला सचिव शीला कुमारी द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। प्रतिवेदन पर बहस में 26 लोगों ने भाग लिया। सचिव द्वारा बहस का जवाब दिए जाने के बाद सचिव प्रतिवेदन सर्वसम्मति से पारित हुआ। संगीता जिला सचिव जिला सम्मेलन के अवसर पर मगध प्रमण्डल के आयुक्त के रमैया द्वारा प्रतिनिधियों को सम्बोधित किया गया। उन्होनें कहा कि आईसीडीएस में फैले भ्रष्टाचार और खासकर सीडीपीओ द्वारा अवैध वसूली पर बेबाकी से टिप्पणी की और आंगनवाड़ी कर्मचारियों को इस भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करने का आहवान किया जिससे सरकारी महकमें में खलबली मच गई और सरकारी महकमें ने इस अधिकारी की ईमानदार टिप्पणी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उनसे माफी मांगने की मांग की है। गया जिला सेविका सहायिका संघ के सम्मेलन में इसी चुनौती से जूझने का संकल्प किया।

ठेका प्रथा के खिलाफ अखिल भारतीय सम्मेलन

ठेका प्रथा के खिलाफ 19 नवम्बर, 2007 को वी पी हाउस नयी दिल्ली के लॉन में एटक, ऐक्टू, सीआइटीयू, एचएमएस, यूटीयूसी, यूटीयूसी–एलएस, टीयूसीसी और बैंकों, बीमा, केन्द्रीय एवं राज्य सरकारी कार्यालयों एवं उपक्रमों में काम करने वाले कर्मचारियों, रेलवे, प्रतिरक्षा, गोदी एवं बंदरगाह इत्यादि में सक्रिय अखिल भारतीय फेडरेशनों पर आधारित स्पांसरिंग कमेटी ऑफ ट्रेड यूनियनस् के तत्वावधान में ठेका मजदूरों के अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन ने सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों के कामकाजी स्थलों में व्यापक स्तर पर बढ़ते संविदाकरण सभी श्रम कानूनों के बुनियादी प्रावधानों को पांवों तले रौंदे जाने की घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए सत्ताधारी श्रेणियों की इस तरह की संदिग्ध साजिशों का मुकाबला करने के लिए देश भर के श्रमिकों को संयुक्त प्रतिरोध का निर्माण करने का आह्वान किया।

मांगें

1.ठेकेदारों एवं आउटसोर्सिंग एजेंटों के माध्यम से तथा जांब कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली के अन्तर्गत अथवा किसी दूसरे तरीके से काम पर रखे गए सभी मजदूरों को प्रधान सेवायोजक के कर्मचारियों के रूप में मान्यता दी जाए।

2.स्थायी एवं स्थायी प्रकृति के काम करने वाले ठेका मजदूरों को कम्पनी के स्थायी श्रमिकों के रूप में पक्का किया जाए और इसका उल्लंघन होने की स्थिति में कठोर दण्ड दिया जाए।

3.आउटसोर्सिंग को अनुबंध के रूप में लिया जाए और उसे संविदा श्रम कानून के अन्तर्गत लाया जाए।

4.एक समान काम करने वाले नियमित एवं ठेका/अस्थायी मजदूरों को एक समान वेतन मिले, इसे यकीनी बनाया जाए और कानून की मुख्य संरचना में इस प्रावधान को प्रमुखता दी जाए (इस समय मौजूदा कानून के अन्तर्गत बनाए गए नियमों में इस तरह का प्रावधान है)।

5.उच्चतम न्यायालय की ओर से ठेका मजदूरों के अधिकारों पर विशेष तौर पर सेल मामले में दिए गए फैसले के विनाशकारी दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए संविदा श्रम (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 की धारा 10 (1) में संशोधन किया जाए।

6.कम्पनी/उपक्रम के नियमित श्रमिकों के लिए लागू न्यूनतम वेतन का भुगतान उसी कम्पनी/उपक्रम में काम करने वाले ठेका मजदूरों को भी किया जाए और इसे यकीनी बनाया जाए।

7.सभी ठेकेदारों को अपने काम के लिए उपयुक्त प्राधिकरण से लायसेंस हासिल करना चाहिए।

8.ठेकेदार के बदल जाने पर भी उसके पास काम करने वाले मजदूरों को काम पर बनाए रखा जाए; उनकी सेवा को भंग न किया जाए और न ही उनकी सेवा शर्तो में बदलाव किया जाए। ठेकेदारों की नियुक्ति के लिए निविदा आमंत्रित करते समय इस शर्त को भी उसमें जोड़ा जाए।

9.प्रधान सेवायोजक की ओर से श्रम विभाग को भेजी जाने वाली वार्षिक रिटर्न में ठेका मजदूरों के विवरण जिसमें ठेकेदारों और उनके लायसेंस का ब्यौरा भी शामिल हो, अनिवार्य रूप से शामिल किए जाएं।

10.रोजगार के समय दुर्घटना अथवा किसी और कारण से मौत हो जाने की स्थिति में ठेका मजदूरों को वही क्षतिपूर्ति दी जाए जो स्थायी श्रमिक के मामले में दी जाती है; मृतक ठेका मजदूर के आश्रितों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए और सहानुभूति के आधार पर इस तरह का रोजगार उपलब्ध कराना प्रधान सेवायोजक की कानूनी जिम्मेदारी बनाई जाए।

11.ठेका मजदूरों के लिए सभी श्रम कानूनों जिनमें रोजगार रजिस्टर रखना, श्रम विभाग को वार्षिक विवरण भेजना, वेतनों का नियमित भुगतान, भविष्य निधि, ईएसआइ, पेन्शन तथा सामाजिक सुरक्षा के दूसरे लाभ तथा आवास, शिशु पलना गृह, बच्चों की शिक्षा इत्यादि एवं श्रमिक की क्षतिपूर्ति इत्यादि बुनियादी कल्याणकारी योजनाएं भी शामिल हैं, को लागू करने की जिम्मेदारी प्रधान सेवायोजक के कंधों पर डाली जाए। इन कानूनों का उल्लंघन करने वाले प्रधान सेवायोजकों को कड़ा दण्ड दिया जाए।

12.सभी राज्यों में ठेका रोजगार से जुड़े मामलों का निरीक्षण करने के उद्देश्य से एक अलग निरीक्षणालय (इंस्पैक्टोरेट) का गठन किया जाए और उसे पर्याप्त मानवशक्ति उपलब्ध कराई जाए।

13.ठेका मजदूरों से सम्बन्धित कानूनों जिनमें अन्तर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक अधिनियम भी शामिल है, पर अमल हो रहा है या नहीं, इसकी मानिटरिंग करने के लिए सभी राज्यों में तथा केन्द्रीय स्तर पर कान्ट्रैक्ट लेबर मानिटरिंग बोर्ड का गठन किया जाए। इस बोर्ड में यूनियनों, सेवायोजकों तथा सरकार के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए।

आइफा की कार्यकारिणी कमेटी की बैठक

अखिल भारतीय आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिका फैडरेशन (आइफा) की कार्यकारिणी कमेटी की बैठक 13–14 दिसम्बर 2007 को बी टी रणदिवे भवन, नई दिल्ली में हुई। बैठक की अध्यक्षता फैडरेशन की अध्यक्ष नीलिमा मैत्रा ने की। आसाम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पांडिचेरी, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, प0 बंगाल – 15 राज्यों से 41 सदस्यों और अतिथियों ने बैठक में भाग लिया।

आइफा की महासचिव हेमलता ने रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें देश की वर्तमान स्थिति, समीक्षा करने के लिए गतिविधियों सहित भूमिका और भविष्य के कार्यों का वर्णन था। रिपोर्ट में यूपीए सरकार की एनसीएमपी की अपनी ही जन हितकारी नीतियों को लागू न करने पर आलोचना की। यूपीए सरकार भारत को अमेरिकी साम्राज्यवाद का छोटा भाई बनाने और हमारी संप्रभुता को खंडित करने के लिए उत्सुक है। भारत अमेरिका परमाणु समझौता केवल परमाणु ऊर्जा तक ही सीमित नही है, बल्कि यह हमारी आर्थिक, सैन्य शक्तियों और विदेश नीति को भी प्रभावित करता है।

भारत ने अभी से हमारी पारंपरिक विदेश नीति को दरकिनार करते हुए अमेरिका के निर्देशों का पालन शुरू कर दिया है, यद्यपि अभी तक समझौता हुआ नही है। अन्तर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा ऐजेंसी में भारत ने दो बार ईरान के खिलाफ वोट डाला जिससे ईरान – पाकिस्तान – भारत गैस पाइप लाइन परियोजना पर ईरान के साथ बातचीत में भाग लेना बंद कर दिया है और अब स्टेट बैंक आफ इंडिया ने ईरानी बैंकों को विश्वास में लेना बंद कर दिया है। फुटकर व्यापार में विदेशी निवेश, आर्थिक क्षेत्र के रिफॉर्म और मालिकों को 'हायर एण्ड फायर' की आजादी देने के लिए श्रम कानूनों में संशोधन की घोषणा प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री लगातार कर रहे हैं। रिपोर्ट में नोट किया गया कि आंगनवाड़ी कर्मचारियों के नियमितिकरण, पेंशन और अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभों के संघर्षों और उनके कार्यस्तर में सुधार पर इन नीतियों का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ रहा है।

सरकार द्वारा आंगनवाड़ी कर्मचारियों के संगठनों से किसी बातचीत के बगैर ही आईसीडीएस में बदलाव कर सुधार लाने के निर्णय को भी रिपोर्ट में नोट किया गया। सरकार सामुदायिक भागीदारी के संदर्भ में इसमें बहुत से बदलाव ला रही है। पहले बहुत से राज्यों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर दबाव बनाकर माता कमेटियों के अध्यक्ष या महिला पंचायत सदस्यों के साथ संयुक्त बैंक खाते खुलवाने और खाद्य पदार्थ खरीदने के लिए मिलने वाले धन को इस खाते में जमा करवाने के लिए जोर दिया जा रहा है, जिससे आंगनवाड़ी कर्मचारियों का बहुत ही उत्पीड़न हो रहा है। बहुत से स्थानों पर स्वयं सहायता समूहों को बगैर कोई बर्तन इत्यादी की सुविधा उपलब्ध कराए भोजन पकाने के लिए कहा जाता है; उन्हें कुछ खर्चा करने के लिए कहा जाता है। कुछ राज्यों में तीन से अधिक माह से लाभार्थियों को खाद्य पदार्थ घर ले जाने के लिए दिए जाते हैं, जिसकी कोई गारंटी नही है कि वह भोजन बच्चों, गर्भवती महिलाओं या दूध पिलाने वाली माताओं को आवश्यक मात्रा में खिलाया जाता हो। कुछ राज्यों में भोजन अच्छी गुणवत्ता में सप्लाई नही किया जाता और पूरी मात्रा में भी। इन्हीं गतिविधियों के चलते आंगनवाड़ी केंद्रों में आने वाले बच्चों की संख्या लगातार घटती ही जा रही है। रिपोर्ट में इन किए जा रहे बदलावों और इनका आंगनवाड़ी केंद्रों पर प्रभाव का विस्तार से अध्ययन करने के महत्व और आईसीडीएस के महत्व के बारे में जनता में जागरूकता फैलाने और इसे बचाने और मजबूत करने के महत्व पर भी जोर दिया गया।

कार्यकारिणी कमेटी ने काफी गहन विचार के बाद सुझाए गए कार्यों सहित रिपोर्ट को एकमत होकर स्वीकारा। बैठक में देखा गया कि आंगनवाड़ी कर्मचारियों की जायज़ मांगों के प्रति यूपीए सरकार के नकारात्मक रवैये के खिलाफ आंगनवाड़ी कर्मचारियों में बहुत ही रोष है। फैडरेशन के प्रतिनिधिमंडल और संसद सदस्यों जोकि महिला एवं बाल विकास मंत्री और प्रधानमंत्री से हमारी मांगें लगातार उठा रहे हैं, को आंश्वासन देने के बावजूद भी आंगनवाड़ी कमेचारियों की कार्यस्थिति में सुधार के लिए कोई कदम नही उठाए गए हैं।

यह भी नोट किया गया कि जनता में हस्ताक्षर अभियान को लेकर बहुत ही अच्छा प्रत्युत्तर मिल रहा है। बहुत से राज्यों में लाभार्थियों मुख्य रूप से महिलाओं, ग्राम सभाओं के साथ बाजाराके बस स्ऑप, रेलवे स्टेशन और डोर टू डोर अभियान में पर्चा वितरण इत्यादी की योजना बनाने के लिए कमेटी की बैठके, विस्तारित कमेटी की बैठकें, कार्यशालाएं, जनरल बॉडी बैठकें हुई। कार्यकारिणी कमेटी ने हस्ताक्षर अभियान तेज करने और 4 करोड़ लोगों जिनमें आंगनवाड़ी कर्मचारी, लाभार्थी भी शामिल हैं, तक पहुंचने के लक्ष्य को पूरा करने और इन हस्ताक्षरों को अखिल भारतीय केंद्र में जनवरी 2008 के अंत तक पहुंचाने का निर्णय लिया। वर्दी में कार्यकर्ताओं का विराट प्रदर्शन आयोजित करने और बजट सत्र से पूर्व फरवरी 2008 में प्रधानमंत्री को 4 करोड़ हस्ताक्षरों सहित मांगपत्र सौंपने का भी निर्णय लिया गया।

कार्यकारिणी कमेटी ने राज्य कमेटियों का आहवान किया कि वे राज्य कमेटियां जिन्होंने मध्यावधि समीक्षाए पुरी नही की हैं वे मार्च के अंत से मध्यावधि समीक्षाएं पूरी कर लें और राज्य, जिला, और परियोजना स्तर की ट्रेड यूनियन कक्षाएं और कार्यकर्ता विकास की योजनाबद्ध तरीके से करें। जैसा कि इस वर्ष के अंत में आइफा का अखिल भारतीय सम्मेलन होना है, कार्यकारिणी कमेटी ने निर्णय लिया कि सभी राज्यों में परियोजना और जिला स्तरीय सम्मेलन करना आरम्भ कर दें और सभी राज्य सम्मेलन अक्टूबर माह के अंत तक हो जाने चाहिए।

आसाम में मध्यावधि समीक्षा

तीसरे राज्य अधिवेशन और अखिल भारतीय आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिका फैडरेशन के पांचवे अधिवेशन के दिशा निर्देशों की समीक्षा करने के लिए आसाम राज्यिक आंगनवाड़ी कर्मी और सहायिका संस्था ने 8–9 दिसम्बर 2007 को गुवाहाटी में मध्यावधि समीक्षा की। राज्य में जहां यूनियन है, 16 जिलों में से 12 जिलों के 48 राज्य कमेटी सदस्यों और अतिथियों ने समीक्षा में भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता यूनियन की अध्यक्ष माधुरी देवी ने की। बैठक में सीआइटीयू आसाम राज्य कमेटी के महासचिव देबेन भट्टाचार्या और आइफा की महासचिव हेमलता ने भी भाग लिया। यूनियन के कार्यकारी अध्यक्ष तपन शर्मा ने बैठक के उद्देश्यों को समझाते हुए बैठक की शुरूआत की।

आसाम राज्य कमेटी की महासचिव निरोदा काकोती ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। केंद्र में कांग्रेस नीत यूपीए सरकार के आईसीडीएस के प्रति रवैये का वर्णन करने हुए हेमलता ने कहा कि सरकार आईसीडीएस को सर्वव्यापी बनाने और देश में बच्चों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के अपने वायदों को पूरा करने में गम्भीर नही है। प्रधान मंत्री और महिला एवं बाल विकास मंत्री द्वारा आंगनवाड़ी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने और खाली हाथ सेवानिवृत्त किए गए आंगनवाड़ी कर्मचारियों को एक्स ग्रेशिया देने के आश्वासनों को पूरा करने के लिए भी कोई भी कदम नही उठाए गए। उन्होनें पांचवे अधिवेशन के दिशा निर्देशों को संघर्ष, शिक्षा और संगठन और कार्यकर्ता विकास के साथ जोड़ते हुए संघर्ष तेज करने और संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने भागीदारों से विचार करने के लिए कहा कि उन्होनें किस प्रकार राज्य में निर्देशों का पालन किया और उनके अनुभवों का वर्णन किया।

ज़िलानुसार सामूहिक बैठकों के बाद 12 सदस्यों ने बहस में भाग लिया और अपने अनुभव बताए। बहुत से आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने सूचना दी कि पूरक पोषण की नियमित रूप से पूर्ति नही होती; कुछ जिलों में 4–5 माह राशन की आपूर्ति नही हुई; आंगनवाड़ी केंद्रों में कोई बर्तन उपलब्ध नही कराए जाते; भोजन पकाने के लिए उनके पास स्थान नही है। उन्हे निर्देश दिए जाते हैं कि खाद्य पदार्थ लाभार्थियों राशन के तौर पर दिए जाएं ; कुछ जिलों में तीन माह में एक बार राशन घर ले जाने के लिए उपलब्ध करवाया जाता है। आंगनवाड़ी कर्मचारियों का वेतन भी नियमित रूप से भुगतान नही किया जाता, कभी कभी 5–6 माह में दिया जाता है। अन्य राशियां भी पूरी भुगतान नही की जातीं। ऐसे बहुत से मुद्दों पर जिला स्तरीय संघर्ष करने की आवश्यकता महसूस की गई। बैठक में यूनियन के राज्य केद्र को मजबूत करने और इसकी कार्यप्रणाली में सुधार करने का निर्णय लिया गया; पांच सदसयीय राज्य केंद्र का गठन किया गया और सप्ताह में कम से कम एक बार बैठक करने का निर्णय लिया गया। बैठक में प्रधानमंत्री के नाम खुली चिट्ठी पर कम से कम 10 लाख हस्ताक्षर एकत्र कर जनवरी 2008 के अंत तक अखिल भारतीय केंद्र में भेजने का निर्णय लिया गया।

देबेन भट्टाचार्या ने कहा कि समाज में आंगनवाड़ी कर्मचारियों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि वे बच्चों के भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे प्रत्येक क्षेत्र के प्रत्येक घर में जाती हैं और लोगों से काफी अच्छे संपर्क रखती हैं। उन्हें समाज के विरोधियों, अंधविश्वासों और सरकार के गरीब विरोधी रवैये के विरोध में जनता में, मुख्य रूप से महिलाओं में जागरूकता फैलानी चाहिए। आईसीडीएस को स्थाई सेवा बनाने के लिए उन्हें आम जनता को भी अपने संघर्ष में शामिल करना चाहिए।

समापन के समय, माधुरी देवी ने बैठक में हुए निर्णयों को लागू करने में गम्भीरतापूर्वक प्रयत्न करने के लिए भागीदारों का आहवान किया।

आंगनवाड़ी कर्मचारियों का विधान सभा के आगे धरना

आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन, उत्तर प्रदेश ने अपनी मांगों के लिए 30 नवम्बर, 2007 को लखनऊ में विधान सभा के आगे धरना देने की घोषणा की। इस सम्बन्ध में 4 नवम्बर को हुई बैठक में फैसला लिया गया था। बैठक में ऑल इंडिया आंगनवाड़ी वर्कर्स फेडरेशन की महासचिव कामरेड हेमलता तथा सीआइटीयू की राज्य समिति के महासचिव दौलत राम ने भी भाग लिया। इस अवसर पर आंगनवाड़ी कर्मचारियों द्वारा पिछले समय में किए गए आंदोलन की चर्चा करते हुए हेमलता ने राज्य की आंगनवाड़ी कर्मचारियों को आह्वान किया कि वे अपनी मांगों के समर्थन में कम से कम 400 लोगों के हस्ताक्षर कराएं और 30 नवम्बर को राज्य विधान सभा के आगे दिए जा रहे धरने को सफल बनाएं। दौलत राम ने खेद व्यक्त किया कि आंगनवाड़ी कर्मचारियों को बेहद कम मानदेय दिया जाता है जबकि प्रदेश के बहुत सारे कार्यक्रमों को सफल बनाने का दायित्व इनके कंधों पर डाला गया है। बैठक में आंगनवाड़ी कर्मचारियों की समस्याओं पर विचार किया गया। बैठक की अध्यक्षता बीना गुप्ता ने की।

पंजाब में आंगनवाड़ी कर्मचारियों पर पुलिस का कहर

पंजाब में 24 दिसम्बर को अचानक पुलिस ने आंगनवाड़ी मुलाजम यूनियन के नेताओं और कार्यकर्ताओं के घरों में छापे मार कर हजारों कर्मचारियों और उनके नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। कुछेक स्थानों में पुलिस के साथ टकराव में अनेक आंगनवाड़ी कर्मचारी घायल हो गए। यह जानकारी यूनियन की अध्यक्ष ऊषा रानी ने राजपुरा में एक संवाद्दाता सम्मेलन को सम्बोधित करते समय दी।

उन्होंने बताया कि आंगवाड़ी कर्मचारियों ने लम्बे समय से लम्बित अपनी मांगों के लिए पिछली 20 दिसम्बर को चण्डीगढ़ में पहुंच कर विधान सभा का घेराव किया था। उस दिन मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की शह पर रोष प्रदर्शन करने वाली आंगनवाड़ी कर्मचारियों पर पुलिस ने बेरहमी से लाठीचार्ज किया। जब इस पर भी सरकार आंगनवाड़ी कर्मचारियों को डराने में सफल न हो सकी तो सम्बन्धित विभाग के मंत्री स्वर्णा राम ने घेराव स्थल पर आकर कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों के बारे में उनसे बातचीत की जाएगी।

आंगनवाड़ी मुलाजम यूनियन, पंजाब की अध्यक्ष श्रीमती ऊषा रानी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि मंत्री महोदय ने आंगनवाड़ी कर्मचारियों को यह विश्वास दिलाया था कि 24 दिसम्बर को आपकी यूनियन की बैठक मुख्यमंत्री के साथ की जाएगी। इस पर यूनियन की ओर से भी उसी समय यह घोषणा कर दी गई कि अगर 24 तारीख को मीटिंग नहीं हुई तो 25 दिसम्बर को फतेहगढ़ साहेब में मुख्यमंत्री की रैली में काले झण्डे दिखाए जाएंगे। विभागीय मंत्री ने यूनियन नेताओं को 24 दिसम्बर रात को 9.30 बजे अपने निवास स्थान पर बुला कर एक मीटिंग की और मजबूरी जाहिर की कि *"आज विधान सभा का सैशन देर तक चलने के कारण मुख्यमंत्री से उनकी बात नहीं हो सकी। इसलिए मैं सुबह दस बजे मुख्य मंत्री से मिल कर मीटिंग तय करूंगा।"*

उन्होंने बताया कि हमने अपनी पूर्व घोषणा के अनुसार 25 दिसम्बर को फतेहगढ़ साहेब में शहीदी जोड़ मेले के अवसर पर मुख्यमंत्री का घेराव करने और काले झण्डों से उनका स्वागत करने का कार्यक्रम बनाया था। पर पंजाब सरकार ने रात साढ़े बारह बजे से आंगनवाड़ी कर्मचारियों की धर पकड़ शुरू कर दी और सुबह चार बजे तक पांच सौ से अधिक कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस डर से कि कहीं आंगनवाड़ी कर्मचारी फतेहगढ़ साहेब पहुंच कर मुख्य मंत्री की रैली में अपना विरोध जाहिर न करें पुलिस ने उनका दमन करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। कर्मचारियों के छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया। इस पर भी यूनियन की महासचिव हरजीत कौर के नेतृत्व में 11 आंगनवाड़ी कर्मचारी मुख्य मंत्री की रैली के पंडाल तक पहुंचने में सफल हो गईं। उनके द्वारा वहां जम कर नारे लगाए गए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जब मुख्य मंत्री भाषण दे रहे थे तब भी गुरदीप कौर के नेतृत्व में तीन सौ से अधिक कर्मचारियों ने काले झण्डे दिखाए। उन्हें पंडाल से बाहर कर दिया गया और शहर से दस किलो मीटर दूर खेतों में ले जाकर छोड़ दिया गया।

इसी गिरफ्तारी के दौरान मोहाली जिला की यूनियन अध्यक्ष श्रीमती गुरप्रीत कौर जो अपने गांव की सरपंच भी है, को सेंट्रल जेल भेज दिया गया जबकि उसके बाकी साथियों को शाम के समय छोड़ दिया गया। पचास कर्मचारियों के खिलाफ मुकद्दमें दायर किए गए। गुरप्रीत कौर को रिहा कराने के लिए सैंकड़ो आंगनवाड़ी कर्मचारियों जिनमें सीआइटीयू के कार्यकर्ता भी शामिल थे, की ओर से एसडीएम, डेरा बस्सी का घेराव किया गया और पूरे शहर में रोष मार्च किया गया। इस पर पुलिस ने उसी दिन गुरप्रीत कौर को रिहा कर दिया।

उल्लेखनीय है कि आंगनवाड़ी मुलाजम यूनियन, पंजाब (सीटू) द्वारा 20 दिसम्बर, 2007 को चण्डीगढ़ में आयोजित रैली में दस हजार से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं ने भाग लिया था। रैली को सम्बोधित करते हुए आंगनवाड़ी नेताओं ऊषा रानी, हरजीत कौर तथा सुभाष रानी ने आरोप लगाया था कि बार–बार मांग करने पर भी यूपीए सरकार की ओर से आंगनवाड़ी कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए कोई पहलकदमी नहीं की गई। इसके चलते आंगनवाड़ी कर्मचारियों को भीषण आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। जरूरी जीवनोपयोगी वस्तुओं के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं किन्तु आंगनवाड़ी कर्मचारियों के मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई।

पुलिस अत्याचारों की निंदाः इसी बीच सीआइटीयू के राष्ट्रीय सचिव एवं सांसद कामरेड तपन सेन ने एक बयान जारी करके पंजाब में आंगनवाड़ी कर्मचारियों की गिरफ्तारियों और उन पर पुलिस अत्याचारों की निंदा की है। उन्होंने कहा कि ये कर्मचारी अपनी उचित मांगों के लिए संघर्ष कर रही हैं; रात के समय उनके घरों पर छापे मार कर उन्हें उठा लेना और थाने में बंद कर देना सरासर अन्यायपूर्ण है। सीआइटीयू इसकी तीखे शब्दों में निंदा करता है। इसी बीच सीआइटीयू की पंजाब राज्य समिति के महासचिव कामरेड रघुनाथ सिंह और उपाध्यक्ष प्रोफैसर बलवंत सिंह ने भी आंगनवाड़ी कर्मचारियों की धर पकड़ की सख्त निंदा की।

जन विरोधी आर्थिक नीतियों को बदलो

मोहम्मद अमीन

(सीआइटीयू के महासचिव मोहम्मद अमीन ने 1–12–2007 को राज्य सभा में यूपीए सरकार की जन विरोधी आर्थिक नीतियों के खिलाफ भाषण दिया था। प्रस्तुत हैं भाषण के प्रमुख अंश)

उपाध्यक्ष जी, मैं इस बात के लिए आप का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप ने मुझे विनियोग विधेयक 2007 पर बोलने का मौका दिया है। सरकार को जब भी पैसे की जरूरत होगी, वह सदन में आएगी, यह एक संवैधानिक जरूरत है। लेकिन इस मौके पर आर्थिक नीति के मोर्चे पर सरकार की कारगुजारी की समीक्षा करने की जरूरत है। यूपीए सरकार साढ़े तीन वर्षो से काम कर रही है और इस सरकार को वामपंथी पार्टियां भी समर्थन दे रही हैं। लेकिन उस समर्थन की एक शर्त है और वह है ''कॉमन मिनिमम प्रोग्राम''। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम सहमति के साथ, इत्तेफाक राय से तय पाया गया था लेकिन इन साढ़े तीन वर्षो की समीक्षा की जाए तो यही बात सामने आएगी कि उस प्रोग्राम का बहुत ही कम हिस्सा अमल में लाया गया है, जो अहम हिस्से हैं, वे नज़र अंदाज किए जा रहे हैं। सर, इस सम्बन्ध में जो बात कहना चाहता हूं, वह यह है कि "अंदाजे बयां गरचे बहुत शोख नहीं हैं, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात।"

सर, मजदूर और किसान हमारे देश की जनसंख्या का बहुसंख्यक भाग हैं। ये दो तबके ऐसे हैं जिनकी हालत अगर बेहतर हुई तो मुल्क तरक्की करेगा और अगर इनका दुख बढ़ गया, इनकी मुसीबतें बढ़ गईं तो देश नीचे गिरेगा।

आज क्या हो रहा है? अलग–अलग तमाम बातों पर विचार करने के बाद जो नतीजा निकलकर सामने आ रहा है, वह यह है कि आम लोगों की हालत खराब हुई है। हिन्दुस्तान में ऐसा एक भी आदमी नहीं मिलेगा जो यह बोले कि साढ़े तीन वर्षो में, आजादी के बाद से आज तक चीजों की कीमतें घटी हैं। वह कभी भी नहीं घटीं हैं, वह मसलसल बढ़ती चली जा रही हैं और आज तो यह इस मुकाम पर पहुंच गई हैं कि मुल्क की आधी आबादी दो वक्त पेट भर खाना नहीं खाती। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें एक वक्त भी खाना नहीं मिलता है, इसलिए कि पैसा नहीं है। किसानों की खुदकशी की बात सारे लोगों को मालूम है और खुदकशी करने वालों की तादाद वर्ष में लाखों तक पहुंच जाती है। क्या यह शर्मनाक नहीं है? हम दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे? हिन्दुस्तान कौन से रास्ते पर चल रहा है जहां लाखों किसान अपनी जान दे देते हैं। क्या सरकार कभी उस पर ध्यान देगी या यह पता लगाएगी कि उसके पीछे वजह क्या है? वजह एक ही है कि किसानों को उनकी फसल की कीमत नहीं मिलती है। उनका कर्ज बढ़ता चला जाता है और जब वे कर्ज में डूब जाते हैं, जिंदगी के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो अपनी जान देकर, अपमानित होकर, दुनिया से रुखसत होते हैं।

यह एक त्रास्दी है और विडम्बना है। अभी कल ही यहां बात हो रही थी कि हिन्दुस्तान में कहते हैं कि गेहूं की पैदावार बढ़ी है, लेकिन फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वह प्रोक्युरमैंट (खरीद) नहीं कर पाती है। क्यों नहीं कर पाती है? क्योंकि मिनिमम स्पोर्ट प्राइस कम है। सरकार किसानों को जो कीमत देती है, उसकी दोगुणा कीमत पर वह बाहर से गेहूं मंगवाती है। यह क्या नीति है, क्या पॉलिसी है? यह पॉलिसी किसी की समझ में नहीं आती। दुनिया में सब कुछ बदल रहा है। मंत्री लोग यहां बैठ कर सुनते हैं और सुन कर फिर जवाब में गोल–मोल बातें करके चले जाते हैं। वे समझते हैं कि पास तो हो ही जाएगा। लेकिन डेढ़ साल बाद, जब सरकार की मियाद पूरी हो जाएगी, जनता के सामने आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। मगर सरकार ने अपनी पुरानी पॉलसियों से कुछ सबक लिया है, या सबक लेने की कुछ कोशिश की है, ऐसा मालूम नहीं होता। उसका नतीजा भुगतना होगा। हालात की मांग है कि आर्थिक नीति की सत्ता में बदलाव लाया जाए और सरकार को गम्भीरता के साथ इस बात पर विचार करना चाहिए।

महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि कौन नहीं जानता कि इस मुल्क में काले धन का पहाड़ खड़ा हुआ है। इस काले धन के मालिक लोग कौन हैं? उनकी पहचान क्या है? उनके पास कैसे काला धन जमा हुआ? वे लोग इन्कम टैक्स न देकर ओर गैर–कानूनी धंधा करके यह पैसा जमा करते हैं। जिन लोगों के जिम्मे यह काम है कि वे लोग भी उनसे मिले हुए हैं और इसलिए उन पर किसी का कोई वश नहीं चलता। सब लोग जानते हैं कि काला धन पेरालल इकोनोमी का काम कर रहा है और जिस देश में यह हालत होगी, वह देश कभी तरक्की नहीं करेगा, आप चाहे जितना सिर फोड़ लें।

यहां के कुछ नेता आज कल चीन जा रहे हैं, यह बड़ी अच्छी बात है, मगर चीन से वह क्या देख कर आते हैं, उससे उनको कुछ इंसपरेशन मिलता है या नहीं, मालूम नहीं। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद अब सारा मरकज चीन बनता जा रहा है और उसकी जो इकोनोमिक ग्रोथ है, जो लोग कम्युनिस्टों के मुखालिफ हैं, वे भी मानते हैं कि चीन तरक्की कर रहा है। क्या वजह है कि चीन तरक्की कर गया, जबकि वह हमारे बाद आजाद हुआ। हम पहले आजाद हुए, लेकिन हमारी तरक्की रुक गई, हम मुसीबत में हैं, फंसे हुए हैं। यह मेरा दूसरा सवाल है।

महोदय, यहां क्या हो रहा है। सरकार बड़े जोरों से एसईज़ैड बढ़ाती चली जा रही है, लेकिन एसईज़ैड में मजदूरों को न तो मिनिमम वेतन मिलता है, न उनके काम के घण्टों की कोई हद है और न ही रिटायरमैंट के बाद सोशल सैक्योरिटी का कोई इंतजाम है। इधर कौन देखेगा? एसईज़ैड इलाके में कोई यूनियन बनाने नहीं देते, यूनियन का कोई लीडर उस इलाके में जा नहीं सकता है, उसको परमिशन नहीं है। हिन्दुस्तान में जो लेबर लॉज बने हुए हैं, उन पर अमल–दरामद नहीं हो रहा हे, कभी नहीं हो रहा है। उनकी कमाई का हिस्सा प्रोविडेंट फण्ड से काट कर जमा कर लिया जाता है, लेकिन रिटायरमैंट के मौके पर उनको वह पैसा नहीं मिलता नहीं है, ग्रेच्युटी मिलती नहीं है। जब तक काम करने के लायक रहता है, काम करता है पर जब रिटायरमैंट

का टाइम आता है और उस वक्त अगर खाली हाथ उसे घर जाना पड़े तो सिवाय भीख मांगने के वह क्या करेगा? यह हमारे लिए, हमारे शेष के लिए अपमान की बात नहीं है?

अभी यहां पर एक सदस्य ने रिटेल एस्टेट के कारोबार के बारे में कहा। साढ़े चार करोड़ से अधिक लोग इसमें लगे हुए हैं, लेकिन जिस तेजी से एफडीआइ घुस रहा है, उससे वे सारे लोग बेकार हो जाएंगे। कौन इनका सामना करेगा और ये लोग कहां जाएंगे?

असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, यह बात सरकार को मालूम है, प्रोपोरशन 93 फीसदी हो गया है, यानी 100 मजदूरों में से 93 मजदूर असंगठित क्षेत्र में हैं, जिनके लिए आज तक हिन्दुस्तान में कोई कानून नहीं बना और देश की तरक्की के दावे किए जा रहे हैं। इन मजदूरों ने 8 अगस्त को पूरे हिन्दुस्तान में स्ट्राइक की, जिसमें 4 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया और सर, आपके जरिए मैं सदन को बताना चाहता हूं कि बजट सैशन के मौके पर लाखों मजदूर पार्लियामेंट के सामने मुज़ाहिरा करने के लिए आएंगे, देश के लोगों को यह बताने के लिए कि इस सरकार ने असंगठित क्षेत्र की तरफ, हमारी तरफ आज तक देखा नहीं, हमारे लिए कोई कानून आज तक बना नहीं।

सरकार दावा करती है कि इनफलेशन रेट घट रहा है, इनफलेशन यानी इफराते ज़र। अगर इनफलेशन का रेट कम हो तो महंगाई क्यों बढ़ती है? सियासत में जोर जबरदस्ती नहीं चलती, बहस (अथवा तर्क) चलता है। आपकी बात से लोग कन्वींस होंगे तो वे आपका साथ देंगे, अगर आपकी बात से कन्वींस नहीं होगे तो तो जोर जबरदस्ती से यह काम चलने वाला नहीं है।

हर कोई यह कह रहा है कि जो अमीर थे, वे और ज्यादा अमीर हो गए और जो गरीब थे, वे और ज्यादा गरीब हो गए। ऐसा क्यों है? नीति के माडल में बुनियादी खराबी है।

सर, इस वक्त गांव के लोग शहरों गांव छोड़ कर शहरों का रुख कर रहे हैं और यह तादाद बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से शहरों में भीड़–भाड़ बढ़ गई है। रोटी की तलाश में इंसान मारा–मारा फिरता है। एक जमाने में लोग कोलकाता और मुम्बई जाते थे। कोलकाता में तो अभी तक लोग जा रहे हैं। बिहार से, उत्तर प्रदेश से, आंध्र से, सब जगह से कोलकाता में लोग जा रहे हैं और जो गरीब वहां आते हैं, हम लोग उनके अपने गले लगा लेते हैं, कभी उनसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि यह मुल्क एक है, मुल्क में एक जगह से दूसरी जगह जाने का हक सबको है। लेकिन सवाल यह है कि अगर गांव में उनको रोजी मिल जाए तो वे उस जगह को छोड़ कर, जहां उन्होंने जन्म लिया है, दूसरी जगह नहीं जाएंगे।

सिवाय पश्चिम बंगाल और केरल के पूरे हिन्दुस्तान में सब जगह भूमि सुधार बराएनाम हुआ है। लैंड रिफार्म (अथवा भूमि सुधार) की बात कोई नहीं करता। जब तक बेसिक लैंड रिफार्म नहीं होगी, जमीन किसानों को नहीं मिलेगी, आप लोग लाख कोशिश करें, मुल्क में एक इंच भी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पश्चिम बंगाल की मिसाल मैं आपको दे सकता हूं वहां 83 फीसदी गरीब लोग जमीन के मालिक हैं। लैंड रिफार्म होने की वजह से गांवों में बहुत किस्म के कारोबार खुल गए हैं और वे वहीं अपनी रोज़ी–रोटी कमाते हैं। अब जो शहरों में बड़े लोग हैं, उनको घरों में काम करने वाले नहीं मिलते। काम करने वाले लोग, जो गरीबी के मारे वहां आते थे, उनकी गरीबी का इलाज वहीं हो गया है, इसलिए वे शहरों में नहीं आते हैं। इसलिए मैं तो यह समझ रहा हूं कि सरकार के पास अभी भी डेढ़ साल का वक्त है, इन डेढ़ सालों के अंदर अगर इन मसाइल पर सरकार ध्यान दे और कुछ कदम उठाए तो बेहतर होगा।

सरकार इसके लिए कुछ कदम उठाए, नहीं तो डेढ़ साल के बाद चुनावों में ये जनता के किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे, यही मुझे कहना है।

बिहार राज्य आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं का राज्य सम्मेलन

30 दिसम्बर 2007 को राज्य सममेलन का प्रतिनिधि सत्र सुबह 10 बजे से प्ररम्भ हुआ। सीटू राज्य उपाध्यक्ष रामपुकारी देवी ने सचिव प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन पर बहस में 12 जिलों से करीब 200 प्रतिनिधियों में से 18 ने भाग लिया। सबने एक स्वर से परियोजना में व्याप्त भ्रष्टाचार, आंगनवाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं की प्रताड़नाओं तथा पंचायत स्तर पर मुखिया द्वारा की जा रही मनमानी का जिक्र किया। इसके साथ ही उनहोनें अपने सांगठनिक एवं आंदोलन के उपलब्धियों की भी चर्चा की और राज्य केंद्र को मजबूत बनाने पर जोर दिया।

सीटू राज्य महासचिव अरूण मिश्रा ने महिला कार्यकर्ताओं को स्वयं आगे बढ़कर संगठन को चलाने की जिम्मदारी लेने का आहवान किया। बहस पर जवाब के बाद सर्वसम्मति से रिपोर्ट पारित की गई।

35 सदस्यों की की राज्य कमेटी गठित की गई जिसमें अध्यक्ष, महासचिव एवं कोषाध्यक्ष क्रमशः प्रेमा वर्मा, शोभा कुमारी सिन्हा एवं शांति देवी को चुना गया।

सममेलन में एक प्रस्ताव के जरिए आशा काय्रकर्ताओं द्वारा 29–30 नवम्बर को आयोजित राज्य स्तरीय प्रदर्शन कर्मियों पर पुलिस लाठी चार्ज एवं पानी की बौछार की तीव्र निन्दा करते हुए आंदोलनकारी स्वास्थ्य कर्मियों की मागों को पूरा करने की मांग की।

(पेज 5 से)

हमें खेद है

''पत्रिका'' के अक्टूबर 2007 के अंक में पहले पेज पर 'आइफा' के स्थान पर 'आइसा' छपा था। हमें छपाई में यह गलती होने का गहरा खेद है। पाठकों से अनुरोध है कि उसे आइफा ही पढ़ा जाए।

–संपादक

जन स्वास्थ्य और इसके कार्यकर्ता

इन्द्राणी मजूमदार

29 नवम्बर 2007, नैशनल न्यूज चैनलस पर पटना में हजारों महिला मजदूरों को वाटर कैनन और पुलिस की लाठियों का सामना करते हुए दिखाया गया। हमें बताया गया कि मजदूरी न मिलने के कारण वे प्रदर्शन कर रहे थे। हमें यह भी बताया गया कि बिहार सरकार ने इंकार किया कि महिलाओं के साथ लाठी चलाई गई – कोरा झूठ, जिसकी तस्वीरे एक के बाद एक लगातार दिखाई जा रही थीं जिसमें पुलिस महिलाओं को लाटी से पीट रही थी। टीवी चैनलस ने दावा किया कि वे कुछ तस्वीरें नही दिखा रहे क्योंकि वे तस्वीरें बहुत ही धक्कादायक हैं और महिलाओं के आत्मसम्मान को प्रभावित करती हैं। एक तस्वीर, जिसमें एक पुलिसवाला प्रदर्शनकारी महिला की साड़ी खींच रहा था, की तस्वीरें अगली सुबह के समाचार पत्रों में प्रकट हुआ, यह साबित किया गया कि कुछ प्रदर्शनकारियों के साथ दुर्वव्यवहार किया गया। समीवर्ती व्यक्तियों ने बताया कि वाटर कैनन का लक्ष्य महिलाएं थी। टीवी चैनलस की रूचि केवल घटना को सनसनी बनाकर प्रस्तुत करने तक ही सीमित थी, अगले ही दिन वे उस घटना को भूल गए और हमें अभी तक 29 नवम्बर का वो वाकया याद है।

इस शर्मनाक पुलिस हमले के पीछे शायद, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं – जोकि न केवल बिहार, बल्कि पूरे देश में जनविरोध ी वर्चस्व की नीतियों के अन्तर्गत चल रही है, की कहानियां हैं। बिहार में बहुत से प्रमुख अस्पतालों (जैसे गुरू गोविन्द सिंह अस्पताल, पटना में जयप्रभा अस्पताल और गया में तीर्थयात्री अस्पताल) जोकि जनता की मुफ्त सेवा के बनाए गए हैं, को नीजि लाभ के उन्हें सौंपा जा रहा है, जिससे जो व्यक्ति भुगतान कर सकते हैं उन्ही का इलाज होगा। यह भी कहा जाता है कि इस सरकारी अस्पतालों में नर्सों के वेतन में 17 साल कोई वृद्धि नही की गई है। प्रसिद्ध पटना मेडिकेल कॉलेज अस्पताल में (जोकि सबसे ऊँची बोली वर बिकने को तैयार है) एक नर्स प्रमुख वार्ड में अकेले 190 मरीजों की देखरेख कर रही है, जबकि आईसीयू में यह अनुपात एक नर्स के लिए 290 मरीज हैं। क्या यह तब आश्चर्यचकित होने की बात है कि नर्से उनके काम के स्तर से बहुत निराश हैं। मरीज और आम जनता राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था नाराज़ हैं। और क्या यह प्रकट नही है कि उन डॉक्टरों को जिन्हे ऐसे संस्थानों में प्रशिक्षण दिया जाता है, को सार्वजनिक सेवा दूर रखकर प्राइवेट क्षेत्र में जहों मरीज से ज्यादा लालच और धन को अधिक महत्व दिया जाता है, में भेजा जाता है। न केवल अस्पतालों को बल्कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का नीजिकरण किया जा रहा है। बिहार में नीजिकरण किए गए 36 अस्पतालों से जो लाभदायक नही था, उन्हें मालिकों ने बंद किया लेकिन बिहार सरकार इस बात से पीछे न हटी बल्कि और 1100 अस्पतालों का नीजिकरण किया जा रहा है। साफ है कि सरकार सभी को आधारभूत सवास्थ्य सेवाए प्रदान करने के उत्तरदायित्व से पीछे हट रही है।

दूसरी तरफ महिलाओं के उस प्रदर्शन की कहानी है, जिसमें महिला होने के आधार पर प्रशासनिक नीतियों द्वारा उन्हें गैरबराबर दर्जा देने के खिलाफ हजारों मजदूरों में गुस्सा भड़का था। आशा कार्यकर्ताएं यानी प्रसव सेविकाएं जैसा कि उन्हें बिहार में पुकारा जाता है, सरकार के समाज सेवा विभागों में काम करने वाली महिलाओं के साथ नई नीतियों द्वारा निम्न स्तरीय नौकर जैसा कार्य करवाया जाता है – वे बहुत ही शोषित है और सभी मजदूर अधिकारों से भी वंचित हैं।

सीआईटीयू से संबंधित बिहार जन स्वास्थ्य एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के नेतृत्व में 29 नवम्बर का प्रदर्शन हुआ। राज्य में सरकारी स्वास्थ्य कार्यकताओं के प्रमुख संगठन, संस्था ने प्रसव सेविका यूनियन और आशा कार्यकर्त संघर्ष समिति का गठन कर आरम्भ किया। बिहार में 50,000 प्रसव सेविका ओर 70,000 आशा कार्यकर्ता हैं। ये वे महिला कार्यकर्ताएं हैं, मुख्य रूप से आशा कार्यकर्ता जिन्होंनें 29 नवम्बर के प्रदर्शन में 20,000 से अधिक संख्या में भाग लिया। ये वे हैं जो अन्यों के बीच गांधी मैदान में 28 नवम्बर को इस आशा में कि सरकार उन्हें बुलाए और बात करे, रात दस बजे तक ध ैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। जब सरकार ने उनके अनुरोध को अनदेखा कर दिया तब अगले दिन उन्होंने केंद्रिय डाक बंगला चौराहा की ओर मार्च किया। प्रशासन ने छलपूर्वक तुरन्त कार्यकर्ताओं के अनुरोध को अनदेखा कर दिया।

उन्होंनें प्रदर्शनकारियों से कहा कि एक प्रतिनिधिमंडल सरकारी प्रतिनिधियों से बात करने के लिए जा सकेगा। प्रतिनिधिमंडल को बातचीत के लिए ले जाने की बजाय, वे पुलिस थाने ले गए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और तब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर पूरी शक्ति के साथ हमला किया! इनमें से बहुत से नेता अभी तक जेल में हैं।

एक आशा कार्यकर्ता की कहानीः बिहार का अनुभव

आशा कार्यकर्ता जोकि पटना में प्रदर्शन में सबसे अधिक संख्या में शामिल थे, पिछले एक वर्ष से बिना किसी वेतन के कार्य कर रहे हैं। जी हां बिल्कुल यह नैशनल रूरल हैल्थ मिशन (एनएचआरएम) का ही एक हिस्सा है, जोकि अप्रैल 2005 में 18 राज्यों में आरम्भ किया गया जिसके अन्तर्गत आशा कार्यकर्ताओं को प्रसव सेविका के रूप में नियुक्त किया गया। इन राज्यों में लगभग 2.5 लाख ग्रामीण आशा कार्यकर्ताओं को गांववासियों और स्वास्थ्य केंद्रों में संबंध बनाने के उद्देश्य से नियुक्त किया गया। उन्हें गांव की जनता को शौच, हाइजीन, कोन्ट्रासैप्शन, और टीकाकरण की सलाह देने और डायरिया छोटी छोटी तकलीफों, और बुखार इत्यादी के लिए प्राथमिक उपचार और मरीजों को स्वास्थ्य केंद्रों में ले जाने के लिए प्रशिक्षित किया गया। उनसे आशा की जाती है कि क्षय रोग, ओरल रिहाइड्रेशन (पानी की कमी पमरी करने की दवा) फोलिक एसिड टेबलेट और क्लोरोक्वीन मरीजों को दें और प्रशासन को किन्हीं असामान्य गतिविधियों के बारे में सचेत करें।

उन्हें घरों के शौचालय बनवाने, सर्वव्यापी टीकाकरण इत्यादी जैसी आरसीएच सेवाओं के बदले में काम पर आधारित मानदेय मिलता है। अन्य शब्दों में कार्य के लिए एक प्रकार का पीस रेट भुगतान जोकि उस भुगतान का केवल एक भाग है जिसमें बहुत से घरों में दैनिक विजिट (गैर भुगतान), गर्भवती महिला की देखरेख और उन्हें नियमित रूप से चैकअप के लिए ले जाना, प्रसव के बाद देखरेख, शिशु का रोगों से बचाव और बहुत अन्य सेवाएं (गैर भुगतान) शामिल हैं।

मुजफ्फरपुर की युवती परन्तु बैचैन आशा, मंजुला कुमारी, जोकि बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघर्ष समिति की सचिव हैं, ने मुझे बताया कि बिहार में कार्यक्रम आरम्भ होने के समय से ही कार्यकर्ता वायदा किया गया, भुगतान नही किए जाने की समस्याओं से जूझ रहे हैं। उन्हें 7 दिनों के प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाता है जिसके लिए उन्हें भोजन, यातयात इत्यादी के लिए प्रतिदिन 200/– रू देने का वायदा किया गया परन्तु उन्हें कुछ भी नही मिला। प्रशिक्षण के बाद उन्हें कार्य बताया गया और प्रत्येक माह के पहले शुक्रवार नोडल ऑफिस 'आशा दीवास' में उनकी गतिविधियों की रिपोर्ट देने के लिए कहा गया परन्तु उन्हें कोई प्रमाण पत्र नही दिया गया। इन्सेन्टिव आधारित कार्यक्रमों जैसे गर्भवती महिला को प्रसव संस्था में ले जाना जैसे कार्यो को नोट करने के लिए कोई प्रणाली नही है। क्षय रोग के लिए डॉट प्रशिक्षण उन्हें नही देने के कारण उनका प्रशिक्षण भी अधूरा रहा। उन्हें कार्यक्षेत्र में भेजा गया, जहां एनआरएचएम का पूरा काम उनसे ही कराया जाता है उनके कार्य की समीक्षा और देखरेख उनके मालिक द्वारा की जा रही है, परन्तु आशा कार्यकर्ताएं जो भी कर रही वह सब बगैर किसी वेतन भुगतान के कर रही है।

अपनी स्थिति से परेशान होकर उन्होनें राज्य स्तरीय संघर्ष समिति का गठन किया जिसमें बिहार के सभी जिलों से एकसाथ आशा कार्यकर्ताओं को एकत्र किया गया। उन्होने सिविल सर्जन का घेराव किया और 1400 रू के वायदे में से 1050 रू पाने में सफल हुए। परन्तु डेढ़ वर्ष के कार्य के बराबर उन्हें जो मिला है वो उनके काम से मेल नही खाता। उन्हे गर्भवती महिला के रजिस्ट्रशन पर 100 रू, उन्हें प्रसव के लिए ले जाने के लिए यायात का खर्चा 200रू और शिशु के पेरे इम्यूनाइजेशन के शेड्यूल के लिए 300 रू देने का वायदा किया गया था। उन्होनें स्वयं देखरेख की और 20 गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव के लिए संस्था में लाईं जिसके लिए वे कम से कम 6000रू की हकदार हैं, परन्तु अभी तक उन्हें कुछ भी नही मिला। उन्होने कहा कि नोडल ऑफिस में जहां वे रिपोर्ट देते हैं, के बाहर वे घंटो तक बिना किसी व्यवस्था के इन्तजार करते हुए बैठे रहे।

ऐसे ही कुछ अनुभवों ने बिहार में आशा कार्यकर्तओं को उत्सुक किया। अन्य राज्यों जैसे आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश के क्या अनुभव हैं? यह एकदम विभिन्न न होने – काम्काजी महिलाओं के इस वर्ग को भी संगठित करने की आवश्यकता है।

नोएडा में पहले सुरक्षा गार्ड ने फायरिंग की फिर पुलिस ने लाठियां भांजी

इंडिया इंटरनेशनल हाउस लिमिटेड की नोएडा सेक्टर चार स्थित फैक्टरी के मेन गेट पर 14 दिसम्बर को शांतिपूर्वक धरना दे रहे मजदूरों को भगाने व धरना तोड़ने के लिए पहले मालिक के इशारे पर उसके सुरक्षा गार्ड ने गोली चलाई और फिर पुलिस ने उन पर जम कर लाठियां भाजीं। इस तरह तीन मजदूर बुरी तरह घायल हो गए जबकि अनेक मजदूरों को चोटें आई हैं। इस संस्थान के मालिक ने साहिबाबाद स्थित अपनी फैक्टरी जिसमें 500 मजदूर काम करते थे, को गैर कानूनी तौर पर दिसम्बर 2006 से बंद कर दिया था। बाद में यूनियन के साथ समझौता हुआ जिसके अन्तर्गत 30 अक्टूबर, 2007 से पहले यह कारखाना खोला जाना था किन्तु मालिक ने उस समझौते का पालन नहीं किया। उस कारखाने को खोलने की अपनी मांग को लेकर मजदूर सीआइटीयू नेताओं गंगेश्वर दत्त शर्मा तथा लता सिंह के नेतृत्व में धरना दे रहे थे कि उन पर हमला कर दिया गया। पुलिस ने मालिक के इशारे पर सीआइटीयू नेताओं के साथ–साथ कारखाने के 11 मजदूरों पर झूठे मुकद्दमें दायर करके उन्हें जेल में बंद कर दिया।

उल्लेखनीय है कि जुलाई 2006 में मालिकों द्वारा मजदूरों की जूते से पिटाई किए जाने और आए दिन मजदूरों को मां–बहन की गालियां देने की उत्पीड़क कार्रवाई के चलते मजदूर संगठित हुए और उन्होंने सीआइटीयू के मार्ग दर्षन में यूनियन बना कर अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन और श्रम विभाग के आगे गुहार लगाई किन्तु आज तक उनकी सुनवाई नहीं हुई है। ये मजदूर पिछले कई सालों से इस कारखाने में काम कर रहे हैं किन्तु इन्हें स्थायी नहीं किया गया। सीआइटीयू दिल्ली राज्य सचिव मण्डल मांग करता है कि दिनांक 14 दिसम्बर को पुलिस, कारखाना मालिक व सुरक्षा गार्डो द्वारा धरने पर बैठे मजदूरों पर की गई गोलीबारी व लाठीचार्ज की न्यायिक जांच कराई जाए; सीआइटीयू नेताओं तथा कारखाना मजदूरों के खिलाफ बनाए गए झूठे मुकद्दमें वापस लिए जाएं; कारखाना मालिक के आदेश पर सुरक्षा गार्डो की ओर से चलाई गई गोली के कारण घायल होने वाले मजदूरों को मुआवजा दिया जाए; यूनियन के साथ हुए समझौते को लागू कराया जाए और साहिबाबाद स्थित कारखाने की तालाबंदी को समाप्त कराया जाए। उक्त मांगों को पूरा न किए जाने की स्थिति में सीआइटीयू ने संघर्ष को तेज करने की चेतावनी दी है।

दिल्ली में मजदूरों ने तलाबंदी के खिलाफ आवाज उठाई तो पत्थर बरसा दिए

वस्त्र उद्योग की ये इकाईयां तेजी से फैल रहे अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में सिले सिलाए वस्त्रों का निर्यात करके भारी भरकम मुनाफा कमाती हैं। किन्तु उन इकाईयों में काम करने वाले मजदूरों को न्यूनतम वेतन भी नहीं दिया जाता। मैसर्ज चैलसिया के इन चारों कारखानों में मास्टर टेलर्स को, जो 18–20 साल से काम कर रहे हैं, 2500–2800 रुपए वेतन दिया जाता है जबकि दिल्ली तथा उसके आस पास के इलाकों में चलने वाले कारखानों में न्यूनतम वेतन लगभग 3900 रुपए है। इन चारों कारखानों में 1500 मजदूर काम करते हैं किन्तु उनमें से किसी को भी भविष्य निधि और ईएसआइ जैसी सुविधा हासिल नहीं है।

इन मजदूरों को सीआइटीयू की ओर से संगठित किया गया। उन्हें सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम वेतन देने और ईएसआइ तथा भविष्य निधि सुविधाएं प्रदान करने की मांग सेवा योजकों के पास रखी गई। सीआइटीयू ने श्रम विभाग पर दबाव डाल कर उसे बुनियादी श्रम कानून लागू न करने वाले इन सेवायोजकों के खिलाफ नोटिस जारी करने पर मजबूर किया। इसके जवाब में सेवायोजकों ने अक्टूबर 2007 में प्रतिशोध की कार्रवाई करते हुए अपने 1500 मजदूरों को गुड़गांव स्थित कारखाने में तब्दील कर दिया और उपरोक्त चारों इकाईयों पर ताला लगा दिया। इन 1500 मजदूरों को गुड़गांव में रखा ही नहीं जा सकता था क्योंकि वहां जगह इतनी कम है कि मजदूर खड़े तक नहीं हो सकते और बैठ कर काम करने की बात तो सोची ही नहीं जा सकती। सेवा योजकों की इस गैर कानूनी कार्रवाई के खिलाफ चरणबद्ध अभियान चलाने के बाद सीआइटीयू ने मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र के मजदूरों को 20 दिसम्बर के दिन हड़ताल करने का आह्वान किया।

मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र में सीआइटीयू से सम्बद्ध कुछेक यूनियनें हैं किन्तु सीआइटीयू द्वारा जोरदार अभियान चलाए जाने के कारण मजदूरों ने हड़ताल के आह्वान को जोरदार प्रत्युत्तर दिया। जब करीब 20,000 मजदूरों का जुलूस मैसर्ज डायमण्ड टॉय फैक्टरी के आगे से गुजरा तो अंदर बैठे कुछ गुण्डों ने शांतिपूर्वक जुलूस निकाल रहे मजदूरों पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। मजदूरों ने उसका करारा जवाब दिया और इस टकराव में कुछ मजदूर घायल हो गए। जुलूस की चरम परिणति मुख्य चौराहे में हुई जहां विभिन्न कारखानों में स्थापित यूनियन के नेताओं ने प्रदर्शनकारी मजदूरों को सम्बोधित किया। रैली में मजदूरों ने अपना संघर्ष जारी रखने का प्रण किया। दोपहर के समय पुलिस ने दंगा करने के आरोप में बस स्टाप पर खड़ी कामकाजी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। इस पर सीआइटीयू के राष्ट्रीय सचिव तपन सेन संसद सदस्य, सीआइटीयू की दिल्ली राज्य समिति के अध्यक्ष तथा महासचिव सुधीर कुमार एवं मोहन लाल के नेतृत्व में एक शिष्टमण्डल ने मायापुरी पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की और गिरफ्तार कामकाजी महिलाओं को रिहा करने की मांग की और जेल में बंद कामकाजी महिलाओं से भी मिले। पता चला है कि पुलिस ने उसी दिन रात के समय लगभग 31 मजदूरों जिनमें तीन कामकाजी महिलाएं भी शामिल हैं, को उनके घरों में छापे मारने के बाद गिरफ्तार कर लिया। सारे मजदूर 3 जनवरी को जमानत पर बाहर आए। सीआईटीयू ने पूरे इलाके में अपना संघर्ष तेज करने का फैसला लिया।

आइफा का हस्ताक्षर अभियान

समेकित बाल विकास सेवा योजना आईसीडीएस भारत के करोड़ों लगभग 40 प्रतिशत कुपोषित बच्चो को पूरक पोषण प्रदान करता है। यह योजना, हमारे देश में जहां 80 प्रतिशत से अधिक महिलाएं एनिमिक हैं, बच्चों, गर्भवती व स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण के साथ साथ स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक सेवाएं प्रदान करती है। यह योजना बच्चों 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को स्वास्थ्य सेवाएं और स्कूल पूर्व की शिक्षा प्रदान करती है जिससे बच्चों के भोजन, पोषण, शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करता है। अखिल भारतीय आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिका फैडरेशन बहुत वर्षों से इस योजना को स्थाई बनाने के लिए संघर्ष कर रही है। उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार देश में सभी रिहायशी स्थानों पर आंगनवाड़ी केंद्रों की सुविधा होनी चाहिए और उनकी गुणवत्ता में भी सुधार लाना चाहिए।

फैडरेशन ने इस मुद्दे पर देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान चलाया और 2005 में प्रधानमंत्री को एक करोड़ हस्ताक्षर सौंपे। आंगनवाड़ी कर्मचारियों और लाभार्थियों द्वारा मांग करने के और विभिन्न ऐजेन्सियों और आईसीडीएस के अध्ययन समूहों द्वारा दिए गए सभी सुझावों के बावजूद भारत सरकार इस योजना के तहत चालाई जाने वाली योजनाओं में सुधार लाने के लिए तैयार नही है। इसकी बजाय वह अपने इस उत्तरदायित्व से पीछा छुड़ाना चाहती है और विभिन्न प्रकार से इस योजना का निजीकरण करने का प्रयत्न कर रही हैं। पिछले 5 वर्षों से सरकार ने आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि नही की है। इन्ही गतिविधियों के चलते आइफा ने इसी मुद्दे पर एक अन्य हस्ताक्षर अभियान चलाने का निर्णय लिया। यह निर्णय लिया गया कि प्रधानमंत्री के नाम एक मागपत्र पर, प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र से 400 हस्ताक्षर एकत्र कर कुल 4 करोड़ हस्ताक्षर एकत्र करें।

रिपोर्ट के अनुसार अभियान को बहुत ही अच्छा प्रत्युत्तर मिल रहा है। आंगनवाड़ी कर्मचारी भी काफी उत्साहित हैं : "हम सदैव सरकार की बेकार योजनाओं और अभियानों के लिए गांव–गांव और घर–घर जाकर प्रचार करते हैं। हम अपनी मांगों और बच्चों के आधारभूत अधिकारों के के लिए घर–घर क्यों नही जा सकते?" कहती हैं पंजाब की एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। *"हम समूहों में गांव गांव जाते हैं लोग हमारा समर्थन करते हैं क्योंकि वे महसूस करते हैं कि यह महत्वपूर्ण है कि सरकार बच्चों के भविष्य के जिम्मेदारी उठाए। हमारे कार्यकर्ता पूछते हैं कि हस्ताक्षर एकत्र करने की सीमा 400 ही हैं या हम और भी अधिक हस्ताक्षर एकत्र कर सकते हैं।"* कहती हैं हरियाणा की हमारी एक कार्यकर्ता ।

बहुत सी राज्य कमेटियों ने लक्ष्य तक समय पर पहुंचने के लिए योजना बनाई। लाभार्थियों और आंगनवाड़ी कर्मचारियों के नाम पर्चे बांटे गए। प्रधानमंत्री के नाम मांगपत्र हजारों की संख्या में छापे गए ओर वितरित किए गए। लगभग सभी राज्यों में सर्कल, परियोजना एवे जिला स्तरीय जनरल बॉडी बैठकें हुई। लाभार्थियों और आम जनता के साथ भी बैठकें की गईं। सीआइटीयू, अन्य जन संगठनों जैसे अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति, अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय खेतिहर मजदूर यूनियन के नेता व कार्यकर्ता जिन्होनें स्वयं लाभार्थियों को रिप्रजेंट किया और हमारे अभियान को हार्दिक समर्थन भी दिया।

केरल में आंगनवाड़ी सेविका और सहायिकाओं ने पंचायत ग्राम सभाओं और गांववासियों तक पहुंचे और हस्ताक्षर एकत्र कर रहे हैं। हस्ताक्षर एकत्र करने के लिए उन्होनें सार्वजनिक बैठकों का संचालन किया, और सार्वजनिक स्थानों जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशनों और गलियों के कोनों पर बूथ लगाए।

ढ़ाई लाख से अधिक हस्ताक्षर अखिल भारतीय केंद्र में पहुंच चुके हैं। बजट सत्र से पहले फरवरी माह माह के दूसरे सप्ताह में प्रधानमंत्री को हस्ताक्षर और मांगपत्र जमा करने के लिए सैंकड़ों आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं लाल वर्दी में मार्च करेंगे।

उत्तरी भारत में लड़कियों की संख्या में कमी

कनाडा आधारित अन्तर्राष्ट्रीय विकास अनुसंधान केंद्र के साथ एक्शन ऐड द्वारा संचालित एक सर्वे के अनुसार, उत्तरी भारत के पांच राज्यों में लिंग अनुपात घट रहा है जिसमें पंजाब के एक जिले के परिणाम बहुत ही निकृष्ट हैं। सर्वे में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के 6000 से अधिक घरेलु महिलाओं का इंटरव्यू लिया गया। 2005 में फतेहगढ़ साहिब में प्रत्येक 1000 लड़कों पर 527 लड़कियों का अनुपात पाया गया, जबकि 2001 के सेंसस में 754 लड़कियों का अनुपात पाया गया था। ऐसा लड़की बचाओ नीतियों, सार्वजनिक सूचना अभियानों, लिंग परीक्षण एवं महिला भ्रूण हत्या कराने वालों को गिरफ्तार करने के कानून के चलते हुए हो रहा है।

ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में कुछ समुदायों और स्थानों पर लिंग अनुपात बहुत ही निम्न पाया गया। पंजाब में ग्रामीण जट सिख समुदाय में प्रत्येक 1000 लड़कों पर लड़कियों का अनुपात 500 से भी कम है।। शहरी क्षेत्रों में उच्च जाति के हिन्दुओं में प्रत्येक 1000 लड़कों पर लड़कियों का अनुपात 300 है। 2005 में मध्य प्रदेश के मोरेना जिले में कुछ स्थानों में (0–6 वर्ष की आयु) में लड़कियों का अनुपात 842 दर्शाया गया, जबकि 2001 में पूरे जिले में यह अनुपात (0–14 के लिए 815) 829 था। राजस्थान कें सर्वे क्षेत्र धौलपुर जिले में यह अनुपात अब 871 और 0 –14 वर्ष के बच्चों में 824 है, जबकि 2001 में 859 था। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के 2001 के 836 के आंकड़े से गिरकर 789 हो गया है। हरियाणा के रोहतक जिले में 2001 में यह अनुपात 796 था जबकि अब 780 है।

हाल ही में पाया गया है कि अब एकल परिवार की पद्धति अपनाई जा रही है। ऐसे परिवारों ने एक छाप छोडी है जिससे काफी बेटियां प्रभावित हुई हैं। सर्वे में बताया गया है कि परिवार में एक बच्चा होने के विचार को बढ़ावा मिल रहा है जिसमें वह एक बच्चा बेटा होना चाहिए। अध्ययन में यह नोट किया गया कि गिरता लिंग अनुपात खेतिहर क्षेत्रों से गैर खेतिहर कार्यक्षेत्रों की ओर जा रहा है। इससे पता चलता है कि लिंग निर्धारण की अल्ट्रासाउंड जैसी नई तकनीकें किस प्रकार पुराने मंत्रों, द्रव औषधियों और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ रही है ताकि वंश चलाने के लिए पुत्र पा सकें। मोरेना में नोट किया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में 11.7 प्रतिशत मिसकैरिज और 4 प्रतिशत गर्भपात, शहरी क्षेत्रों में 24 प्रतिशत मिसकैरिज और 14.9 गर्भपात होते हैं। धौलपुर में, ग्रामीण क्षेत्र में 13 प्रतिशत मिसकैरिज और 3.4 प्रतिशत गर्भपात, शहरी क्षेत्रों के आंकडे में 15.9 प्रतिशत मिसकैरिज और 8.6 प्रतिशत गर्भपात की रिपोर्ट मिली।

साभारः आरती धर की रिपोर्ट, द हिन्दु

गीत

संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर गढ़े चलो
भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो
युग के साथ मिलके सब कदम बढ़ाना सीख लो
एकता के स्वर में गीत गुनगुनाना सीख लो –2
भूलकर भी मुख में जाति पंथ की न बात हो
भाषा प्रांत के लिए के लिए कभी न रक्त पात हो
कूट का भरा घड़ा है। फोड़ कर बढ़े चलो
भला हो.....
आ रही है आज चारों ओर से यही पुकार
हम करेंगे त्याग मातृ भूमि के लिए अपार –2
क्ष्ट जो मिलेंगे मुस्कुरा के सब सहेंगे हम
देश के लिए सदा जिऐंगें और मरेंगे हम
देश का ही भाग्य अपना भाग्य है ये सोच लो
भला हो.......

इन्दिरा देवी, अध्यक्ष आंगनवाड़ी यूनियन, हि0 प्र0

के हेमलता द्वारा, अखिल भारतीय कामगार महिला समन्वय समिति (सीटू) के लिए, ए–13, राउस ऐवेन्यू, नई दिल्ली से संपादित एवं प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, ए–21, झिलमिल इंडस्टीयल एरिया, जी टी रोड, शाहदरा दिल्ली–95 से मुद्रित